



झारखण्ड सरकार

झारखण्ड ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन समिति

स्वास्थ्य विकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड

फोन नं०— ०६५१—२२६१०००, २२६१८५६—२२६१००२ मेल आईडी०—nrhmjharkhand3@gmail.com

पत्रांक: 9/RCH- 1400(MD)

दिनांक : 18.05.21

प्रेषक,

अभियान निदेशक

झारखण्ड स्वास्थ्य मिशन, रॉची।

सेवा में,

सभी सिविल सर्जन,

झारखण्ड।

विषय :- COVID-19 महामारी के दौरान 'आवश्यक स्वास्थ्य सेवा' अंतर्गत IFA संपूरण कार्यक्रम के संबंध में

प्रसंग: अभियान निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, झारखण्ड; पत्रांक 9/RCH-644/2021-624 (MD), दिनांक— 7-5-2020

महाशय / महाशया,

उपरोक्त विषय एवं प्रसंग के संबंध में सूचित करना है कि झारखण्ड में अनीमिया (Anemia) एक प्रमुख स्वास्थ्य समस्या है और सभी आयु वर्गों में अनीमिया की व्यापकता को देखते हुए राज्य में अनीमिया मुक्त भारत कार्यक्रम का क्रियान्वयन किया जा रहा है।

अनीमिया मुक्त कार्यक्रम राज्य को अनीमिया मुक्त करने की दिशा में सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल है और इसे 'आवश्यक स्वास्थ्य सेवा' अंतर्गत शामिल किया गया है। IFA के सेवन से पोषण-स्तर में सुधार तथा शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता विकसित होती है, अतः कोविड-19 संक्रमण काल में यह आवश्यक है कि इसका वितरण सुनिश्चित कराया जाय।

वर्तमान परिस्थिति के सामान्य होने तक अथवा अगले आदेश तक गृह भ्रमण कर सभी COVID-19 सुरक्षा व्यवहारों को अपनाते हुए सहिया के माध्यम से लक्षित लाभार्थियों को समुदाय आधारित IFA संपूरण सुनिश्चित किया जाय, साथ ही HMIS में प्रत्येक माह इसकी रिपोर्टिंग सुनिश्चित की जाय। इस हेतु विस्तृत दिशानिर्देश संलग्न है।

अनुलग्नक—

- 1- समुदाय आधारित IFA संपूरण हेतु विस्तृत दिशानिर्देश
- 2- सहिया एवं ANM रिपोर्टिंग प्रपत्र

विश्वासभाजन

(अभियान निदेशक)

ज्ञापांक :- 1400 (MD)

दिनांक :- 18.05.21

प्रतिलिपि :-

- अपर मुख्य सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड को सूचनार्थ प्रेषित।
- निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखण्ड को सूचनार्थ प्रेषित।
- निदेशक, प्राथमिक शिक्षा, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखण्ड को सूचनार्थ प्रेषित।
- निदेशक, समाज कल्याण, महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग, झारखण्ड को सूचनार्थ प्रेषित।

- नदेशक, प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, ज्ञारखण्ड को सूचनार्थ प्रेषित।
- नोडल पदाधिकारी, Maternal Health/ Child Health/ Adolescent Health/ Community Mobilization Cell/RBSK Cell/ IEC Cell/Training Cell/Data Cell, NHM, Jharkhand को सूचनार्थ प्रेषित।
- सभी जिला आर.सी.एच. पदाधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
- सभी जिला कार्यकम प्रबन्धक, जिला डाटा प्रबन्धक, जिला कार्यकम समन्वयक एवं सभी क्षेत्रीय समन्वयकों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
- राज्य प्रतिनिधि, UNICEF/Evidence Action/ IPE Global (We Can) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

18/5/17
(अभियान निदेशक)

दिशानिर्देश

COVID-19 के दौरान IFA का सामुदायिक स्तर पर लाभार्थियों के घर पर वितरण

लाभार्थी आयु समूह	अनुपूरक एवं खुराक	किसके द्वारा वितरण	आवश्यकता	जिम्मेवारी
6–59 माह आयु वर्ग के बच्चे	IFA सिरप 1ml सप्ताह में दो बार, (1 ml x 2 times per week)	सहिया	6 माह से 59 माह के बच्चों की संख्या x 1 IFA सिरप की बोतल 50 ml (6 माह के लिए पर्याप्त)	<ul style="list-style-type: none"> सहिया अपने कार्य क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले लक्षित बच्चों / लाभार्थियों की संख्या के अनुसार ANM से दवाओं की आवश्यकता साझा करेंगी।
5–9 वर्ष आयुवर्ग के बच्चे	सप्ताह में 1 IFA गोली (गुलाबी)	सहिया	5 वर्ष से 9 वर्ष के बच्चों की संख्या (स्कूल एवं स्कूल नहीं जाने वाले) x 15 गोली (3.5 माह के लिए पर्याप्त)	<ul style="list-style-type: none"> ANM अपने कार्य-क्षेत्र में आने वाले सभी सहियाओं को CHC से प्राप्त IFA सिरप की बोतल, गुलाबी, नीली और लाल IFA गोलियों का स्टॉक उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगी।
10–19 वर्ष के किशोर (लड़के एवं लड़कियां)	सप्ताह में 1 IFA गोली (नीला)	सहिया / आंगनबाड़ी कार्यकर्ता	(स्कूल जाने वाले 10–19 वर्ष के किशोर-किशोरियाँ x 15 गोली) + (आंगनबाड़ी केन्द्रों में पंजीकृत स्कूल नहीं जाने वाली किशोरियों की संख्या x 15 गोली) (3.5 माह के लिए पर्याप्त)	<ul style="list-style-type: none"> ANM अपने कार्य-क्षेत्र में आने वाले सभी सहियाओं को CHC से प्राप्त IFA सिरप की बोतल, गुलाबी, नीली और लाल IFA गोलियों का स्टॉक उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगी।
गर्भवती महिलाओं एवं धात्री माताओं के लिए	IFA लाल गोली 1 गोली रोज़ : जो अनीमिक नहीं हैं 2 गोली रोज़ : जो अनीमिक हैं	ए.एन.एम. /सहिया	जो अनीमिक नहीं हैं गर्भवती महिलाओं एवं धात्री माताओं की संख्या x 60 गोली (2 माह के लिए पर्याप्त) जो अनीमिक हैं लाल गोली की 8 Strip = 15 x 8 = 120 गोली (2 माह के लिए पर्याप्त)	<ul style="list-style-type: none"> ANM प्रति माह होने वाली बैठक में सहियाओं से यह जानकारी अवश्य ले कि सहिया के क्षेत्र अंतर्गत आने वाले सभी बच्चों, किशोर-किशोरियों, गर्भवती महिलाओं एवं धात्री माताओं, प्रजनन आयुवर्ग की महिलाओं की संख्या x 15 गोली (3.5 माह के लिए पर्याप्त)
प्रजनन आयुवर्ग की महिला 20–49 वर्ष	सप्ताह में 1 IFA गोली (लाल)	सहिया	प्रजनन आयुवर्ग की महिलाओं की संख्या x 15 गोली (3.5 माह के लिए पर्याप्त)	<ul style="list-style-type: none"> प्रति माह होने वाली बैठक में सहियाओं से यह जानकारी अवश्य ले कि सहिया के क्षेत्र अंतर्गत आने वाले सभी बच्चों, किशोर-किशोरियों, गर्भवती महिलाओं एवं धात्री माताओं, प्रजनन आयुवर्ग की महिलाओं, (20–49 वर्ष) को आयु अनुसार IFA संपूरण की खुराक प्राप्त हो गयी हो।

- आंगनबाड़ी कार्यकर्ता निम्नलिखित तालिका के अनुसार सहिया को लाभार्थियों की सूची उपलब्ध कराएगी तथा 10–19 वर्ष आयु वर्ग के विद्यालय नहीं जाने वाली किशोरियों के IFA वितरण में सहिया का सहयोग करेगी।
- शिक्षक विद्यालय जाने वाले 5–9 वर्ष आयु वर्ग (कक्षा 1 से 5 तक) एवं 10–19 वर्ष आयु वर्ग (कक्षा 6 से 12 तक) के बच्चे एवं किशोर–किशोरियों की सूची सहिया को उपलब्ध कराएंगे।

IFA अनुपूरण के लिए लक्षित लाभार्थियों की पहचान:

लक्षित लाभार्थी	पहचान/सूची
6 से 59 महीने आयु वर्ग के बच्चे	आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के पास उपलब्ध सूची
5–9 वर्ष आयु वर्ग के स्कूल नहीं जाने वाले लड़के एवं लड़कियों की सूची	आंगनबाड़ी कार्यकर्ता/सहिया के पास उपलब्ध सूची
10 से 19 वर्ष आयु वर्ग के विद्यालय नहीं जाने वाले किशोरियों की सूची	आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के पास उपलब्ध सूची
विद्यालय जाने वाले 5–9 वर्ष आयु वर्ग (कक्षा 1 से 5 तक) एवं 10–19 वर्ष आयु वर्ग (कक्षा 6 से 12 तक) के बच्चे एवं किशोर–किशोरियाँ	विद्यालयों के शिक्षकों के पास उपलब्ध सूची
गर्भवती महिलाओं, धात्री माताओं तथा प्रजनन आयुर्वर्ग की महिलाएँ (20–49 वर्ष)	ANM/ आंगनबाड़ी कार्यकर्ता/सहिया के पास उपलब्ध सूची

- प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी रामी र्घारथ्य उप-कैन्द्रों पर समुचित मात्रा में ANM को IFA दवा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

IFA का वितरण

राज्य भण्डारगृह	जिला	CHC	ANM	सहिया
जिलावार लक्षित लाभार्थियों की संख्या के आधार पर IFA अनुपूरक (सिरप, गुलाबी, नीली एवं लाल IFA की गोली) का वितरण	सामुदायिक केन्द्रवार लक्षित लाभार्थियों के अनुरूप CHC को IFA अनुपूरक (सिरप, गुलाबी, नीली एवं लाल IFA की गोली) उपलब्ध कराना	स्वास्थ्य उप-केन्द्र वार लक्षित लाभार्थियों के अनुरूप ANM को IFA अनुपूरक (सिरप, गुलाबी, नीली एवं लाल IFA की गोली) उपलब्ध कराना	सहियाओं को लक्षित लाभार्थियों के अनुरूप IFA अनुपूरक (सिरप, गुलाबी, नीली एवं लाल IFA की गोली) समुचित मात्रा में उपलब्ध कराना	लाभार्थियों को दिशा -निर्देश के अनुरूप उनके घर पर ही जाकर IFA अनुपूरक का वितरण करना

सामुदायिक स्तर पर वितरण:

6 से 59 महीनों के लिए- सहिया गृह-भ्रमण के दौरान प्रत्येक बच्चे के लिए माता-पिता को 50ml की एक पूरी IFA सिरप की बोतल देगी। सिरप की पहली खुराक माता-पिता के सामने सहिया बच्चे को खुद पिलाएगी। यदि सिरप की बोतल लाभार्थी के पास पहले से ही उपलब्ध हैं, तो सहिया इसकी पर्याप्तता स्तर (ml. में मात्रा) एवं expiry तिथि की जांच करेंगी। साथ ही सहिया लाभार्थी के घर उपलब्ध MCP कार्ड का भी सत्यापन करेगी। सहिया माता-पिता को IFA सिरप की खुराक सप्ताह में 2 बार बच्चे को पिलाने के लिए प्रोत्साहित करेगी।

5 से 9 वर्षों के लिए- सहिया घर-घर जाकर प्रत्येक 5 से 9 वर्ष के बच्चों के लिए गुलाबी गोलियों की एक Strip (15 गोली) माता-पिता / अभिभावक को देंगी। सहिया पहली गोली बच्चों को अपने सामने खिलाएगी। साथ ही सहिया माता-पिता को IFA गुलाबी गोली की खुराक सप्ताह में 1 बार बच्चे को खिलाने के लिए प्रोत्साहित करेगी।

10 से 19 वर्षों के लिए- सहिया गृह-भ्रमण के दौरान लाभार्थी के घर में प्रत्येक किशोर/किशोरियों के लिए नीली गोलियों की एक Strip (15 गोली) माता-पिता / अभिभावक को देंगी। सहिया पहली गोली बच्चों को अपने सामने खिलाएँगी साथ ही सहिया माता-पिता को IFA नीली गोली की खुराक सप्ताह में 1 बार किशोर/किशोरियों को खिलाने के लिए प्रोत्साहित करेंगी।

गर्भवती महिलाओं एवं धात्री माताओं के लिए- ए.एन.एम. /सहिया गृह-भ्रमण के दौरान लाभार्थी के घर जाकर सभी गर्भवती महिलाओं एवं धात्री माताओं को 2 माह के लिए IFA लाल गोली एवं कैलि आयम की गोली देगी तथा उसके खुराक से संबंधित जानकारी देगी।

प्रजनन आयुवर्ग की महिला 20-49 वर्ष- सहिया गृह-भ्रमण के दौरान लाभार्थी के घर जाकर सभी प्रजनन आयु वर्ग की महिलाओं को IFA लाल गोली एक Strip (15 गोली) 3.5 माह के लिए देगी तथा उसके खुराक से संबंधित जानकारी देगी।

साथ ही गृह भ्रमण के दौरान सहिया IFA गोली के सेवन के लाभ, खुराक संबंधी दिशा-निर्देश, दवा के सेवन हेतु Do's और Don'ts (जैसे कि आयरन गोली के बेहतर अवशोषण के लिए भोजन के बाद गोली का सेवन, किसी भी मामूली प्रतिकूल घटनाओं के लिए सहिया / ANM से संपर्क करना आदि) तथा दवा के सेवन के पश्चात होने वाली किसी भी मामूली दुष्प्रभाव के बारे में जानकारी देगी।

गृह-भ्रमण के दौरान सहिया सभी परिवारजनों / लाभार्थियों को Iron, Vitamin C तथा Protein युक्त खाद्य पदार्थ को हर रोज के भोजन में शामिल करने के लिए प्रेरित करेंगी (खाद्य पदार्थ की सूची संलग्न है)। इस सूची अनुसार खाद्य पदार्थ COVID -19 के दौरान रोग प्रतिरोधक शक्ति को बढ़ाने में और अनीमिया से बचाव में कारगर है।

IFA सेवन के कारण होने वाली सामान्य प्रतिकूल घटनाएँ और इसका प्रबंधन:

- दूध अथवा दूध से बने पदार्थों, चाय, कॉफी या कैल्शियम की दवा के साथ IFA की दवा का सेवन नहीं करना है। ये अवशोषित होने वाले Iron की मात्रा को कम कर सकते हैं।
- मल के काले पड़ने जैसी घटना सामान्य है। कुछ लोग मितली, उल्टी और पेट में दर्द जैसी हल्के असुविधा का अनुभव कर सकते हैं जो कि थोड़ा आराम करने या ORS/नमक-चीनी का घोल पीने पर रुक्तः ही ठीक हो जाता है।
- किसी भी चिकित्सा सहायता के लिए ANM या सहिया से संपर्क करना है। ANM और सहिया अपना फोन नंबर लाभार्थियों को उपलब्ध कराएंगे।

प्रोत्साहन राशि

- सहिया द्वारा WRA (गैर गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाएं 20–49 वर्ष) को दवा वितरण करने के लिए 50 रु० प्रति माह **FMR कोड 3.1.1.1.8** अंतर्गत भुगतान किया जाय।
- सहिया द्वारा 6–59 महीने आयु वर्ग के बच्चों को दवा वितरण करने के लिए तथा इससे संबंधित रिपोर्टिंग सुनिश्चित करने के लिए प्रोत्साहन राशि 50 रु० प्रति माह **FMR कोड 3.1.1.1.9** अंतर्गत भुगतान किया जाय।
- सहिया द्वारा धात्री माताओं को दवा वितरण करने तथा इससे संबंधित रिपोर्टिंग सुनिश्चित करने के लिए प्रोत्साहन राशि 50 रु० प्रति माह **FMR कोड 3.1.1.1.10** अंतर्गत भुगतान किया जाय।

COVID-19 जोखिम प्रबंधन

सहिया/ANM/आंगनवाड़ी कार्यकर्ता द्वारा IFA संपूरण हेतु गृह-भ्रमण के दौरान निम्नलिखित सावधानी बरतना अनिवार्य है –

शारीरिक दूरी: गृह-भ्रमण के दौरान अन्य व्यक्तियों के साथ कम से कम 6 फीट की दूरी बनाकर रखना।

मास्क का प्रयोग: गृह-भ्रमण के दौरान अनिवार्य रूप से मास्क का प्रयोग करना। यह सुनिश्चित करना कि मास्क उनके मुँह, नाक और तुँड़ी को अच्छी तरह से ढंके।

हाथ की स्वच्छता का अभ्यास: किसी भी व्यक्ति या वस्तुओं के साथ शारीरिक संपर्क में आने पर अपने हाथों को अच्छी तरह से साबुन और पानी / तरल साबुन के घोल से धोना अथवा सैनिटाइजर से अपने हाथ साफ करना।

यह सुनिश्चित करना कि उनके गृह-भ्रमण के दौरान घर पर मौजूद सभी व्यक्ति भी मास्क पहने हों।

वैसी सहिया जो COVID-19 से संक्रमित है अथवा जिसके घर का कोई सदस्य COVID-19 से संक्रमित है उन्हे दवा खिलाने वाली गतिविधि में शामिल नहीं किया जाएगा।

IFA वितरण की रिपोर्टिंग:

आयु वर्ग	सहिया/ ग्राम स्तर में	ANM/HSC स्तर में	CHC स्तर में	जिला स्तर में
6–59 माह की रिपोर्टिंग	सहिया (प्रत्येक माह 8-10 खुराक IFA सिरप दी गयी बच्चों की संख्या) संबंधित प्रतिवेदन प्रत्येक माह की 5 तारीख तक अपने क्षेत्र की ANM को सहिया रिपोर्टिंग	ANM प्रत्येक माह की 10 तारीख तक Sub Centre level HMIS के M 6 भाग में समेकित प्रतिवेदन दर्ज करेंगी साथ ही वह इसे ANM रिपोर्टिंग	ANM से प्राप्त उक्त प्रतिवेदन BDM/BPM द्वारा HMIS अंतर्गत Code 6.9 में प्रत्येक माह की 15 तारीख तक	

	प्रपत्र में संकलित कर जमा करेगी।	प्रपत्र में भी संकलित कर प्रत्येक माह की 10 तारीख तक सामुदायिक केन्द्र स्तर पर उपलब्ध कराएगी।।	संधारित किया जाएगा।	
5 से 9 वर्ष के बच्चों तथा 10 से 19 वर्ष के किशोर/किशोरियों की रिपोर्टिंग	सहिया (प्रत्येक माह 4-5 खुराक आईएफए की गुलाबी तथा नीली गोली दी गयी बच्चों तथा किशोर/किशोरियों की संख्या) संबंधित प्रतिवेदन प्रत्येक माह की 5 तारीख तक अपने क्षेत्र की ANM को सहिया रिपोर्टिंग प्रपत्र में संकलित कर जमा करेगी।।	ANM सहियाओं से प्राप्त प्रतिवेदन को ANM रिपोर्टिंग प्रपत्र में संकलित कर प्रत्येक माह की 10 तारीख तक सामुदायिक केन्द्र स्तर पर उपलब्ध कराएगी।।	BDM/BPM द्वारा सभी ANM से प्राप्त प्रतिवेदन का संकलन कर प्रत्येक माह की 15 तारीख तक जिला स्तर पर उपलब्ध कराएंगे।।	जिला स्तर में सामुदायिक केन्द्र से प्राप्त प्रतिवेदनों को DDM द्वारा HMIS Code 22.1, 1, 22.1.1a, 22.1.1.b, 22.1.3, 23.1 एवं 23.4 में प्रत्येक माह की 20 तारीख तक संधारित किया जाएगा।।
गर्भवती महिलाओं, धात्री माताओं तथा प्रजनन आयुर्वर्ग की महिलाओं (20–49 वर्ष) की रिपोर्टिंग	सहिया (प्रत्येक माह 4-5 खुराक आईएफए की लाल गोली दी गयी गर्भवती महिलाओं, धात्री माताओं तथा प्रजनन आयुर्वर्ग की महिलाओं की संख्या) संबंधित प्रतिवेदन प्रत्येक माह की 5 तारीख तक अपने क्षेत्र की ANM को सहिया रिपोर्टिंग प्रपत्र में संकलित कर जमा करेगी।।	ANM सहियाओं से प्राप्त प्रतिवेदन को ANM रिपोर्टिंग प्रपत्र में संकलित कर प्रत्येक माह की 10 तारीख तक सामुदायिक केन्द्र स्तर पर उपलब्ध कराएगी।।	BDM/BPM द्वारा सभी ANM से प्राप्त प्रतिवेदन का संकलन कर प्रत्येक माह की 15 तारीख तक जिला स्तर पर उपलब्ध कराएंगे।।	जिला स्तर में सामुदायिक केन्द्र से प्राप्त प्रतिवेदनों को DDM द्वारा HMIS Code M1-1.2.4, M 4-4.3 में प्रत्येक माह की 20 तारीख तक संधारित किया जाएगा।।

कार्यकर्ताओं की भूमिकाएं और जिम्मेदारियां

सहिया

- सभी लक्षित लाभार्थियों को घर पर IFA सिरप, लाल, गुलाबी एवं नीली गोली की उपलब्धता सुनिश्चित करेंगी।।
- IFA के सेवन हेतु अभिभावकों एवं लाभार्थियों को जागरूक एवं सक्रिय रूप से जागत करेंगी।।
- प्रतिमाह मासिक बैठक में प्रतिवेदन संबंधित ऐ.एन.एम. को उपलब्ध कराएंगी।।

सहिया साथी

- सहियाओं के 'Cluster बैठक' में समुदाय स्तर पर वितरण हेतु दि. ॥-निर्देश ॥ के संबंध में सहियाओं को बताएंगी।।
- समस्या सहिया के प्रतिवेदन का प्रेशण सुनिश्चित करेंगी।।
- सहिया साथी, BTT से समन्वय स्थापित करते हुए अपने अंतर्गत आने वाली सभी सहियाओं को प्रोत्साहन राशि दिलवाने में सहयोग करेंगी।।

ऐ.एन.एम.

- IFA सम्पूरण यथा सिरप, गुलाबी, लाल एवं नीली गोली की उपलब्धता सहियाओं तक सुनिश्चित करेंगी।।

- ससमय प्रतिवेदन का संकलन एवं प्रेशण CHC को करेंगी।

1349

बी.टी.टी.

- सहिया/सहिया साथी को अनीमिया मुक्त भारत कार्यक्रम के विभिन्न घटकों की जानकारी प्रदान करना।
- सहिया रत्तर से प्रतिवेदन समुदायिक केन्द्र रत्तर तक सुनिश्चित करना।
- BTT, CHC/STT से समन्वय स्थापित करते हुए अपने ब्लॉक अंतर्गत आने वाली सभी सहियाओं को प्रोत्साहन राशि दिलवाने में सहयोग करेंगे।

डी.पी.सी.

- जिला रत्तर पर आयोजित होने वाले बैठकों में अनीमिया मुक्त भारत कार्यक्रम से संबंधित उन्मुखीकरण प्रदान करना।
- प्रतिमाह गतिविधियों एवं प्रतिवेदनों की समीक्षा कर कार्यक्रम को गति प्रदान करना।
- अनीमिया मुक्त भारत कार्यक्रम के अंतर्गत सहियाओं को ससमय प्रोत्साहन राशि दिलाना सुनिश्चित करना।

सहिया एवं ANM रिपोर्टिंग प्रपत्रः

अगले 6 महीने के लिए 1 रिपोर्टिंग प्रपत्र प्रति सहिया तथा प्रति ANM प्रति माह (कुल 6 प्रपत्र प्रति सहिया/ANM) उपलब्ध कराई जाय ताकि ससमय रिपोर्टिंग हो सके।

सहिया/ANM रिपोर्टिंग प्रपत्र का प्रारूप इस पत्र के साथ संलग्न है। रिपोर्टिंग प्रपत्र की छपाई हेतु FMR कोड 12.2.3 का उपयोग किया जाना है।



(348)

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, झारखण्ड
सहिया मासिक प्रगति प्रतिवेदन

(कोविड-19 के दौरान अनीमिया मुक्त भारत कार्यक्रम के तहत विभिन्न आयुवर्ग को सामुदायिक स्तर पर आई.एफ.ए. सम्पूरण का वितरण)

जिला :—

CHC का नाम :—

HSC का नाम :—

ग्राम का नाम :—

सहिया का नाम :—

माह का नाम :— / 2020

HMIS Code	सूचकांक	लाभार्थियों की संख्या
M6	शिशु प्रतिरक्षण (आई.एफ.ए. सिरप)	
6.9	6—59 माह के कितने बच्चों ने सप्ताह में 2 बार आई.एफ.ए. सिरप (माह में 8—10 बार) का सेवन किया?	
M22	किशोर स्वास्थ्य (आई.एफ.ए. की नीली गोली)	
22.1.1	कितने विद्यालय जाने वाले 10—19 वर्ष (कक्षा 6 से 12 तक) के किशोर —किशोरियों को समुदाय स्तर पर माह में 4 आई.एफ.ए. की नीली गोली दी गयी? (HMIS 22.1.1.a + 22.1.1.1.b)	
22.1.1.a	कितनी विद्यालय जाने वाले 10—19 वर्ष (कक्षा 6 से 12 तक) के लड़कियों को माह में 4 आई.एफ.ए. की नीली गोली दी गयी?	
22.1.1.b	कितने विद्यालय जाने वाले 10—19 वर्ष (कक्षा 6 से 12 तक) के लड़कों को माह में 4 आई.एफ.ए. की नीली गोली दी गयी?	
22.1.3	विद्यालय नहीं जाने वाली 10—19 वर्ष के कितनी किशोरियों को माह में 4 आई.एफ.ए. की नीली गोली दी गयी?	
M23	5—9 वर्ष के बच्चों के मध्य आई.एफ.ए. गुलाबी गोली की उपलब्धि	
23.1	विद्यालय जाने वाले कितने (कक्षा 1 से 5 तक) के कितने बच्चों को समुदाय स्तर पर माह में 4 से 5 आई.एफ.ए. की गुलाबी गोली दी गयी?	
23.3	विद्यालय नहीं जाने वाले कितने 5—9 वर्ष के बच्चों को समुदाय स्तर पर माह में 4 से 5 आई.एफ.ए. की गुलाबी गोली दी गयी?	
M1 & M4	गर्भवती एवं धात्री महिलाएँ जिनको 180 आई.एफ.ए. लाल गोली दिया गया	
M1- 1.2.4	कुल गर्भवती महिलाओं की संख्या जिन्हें 180 आई.एफ.ए. लाल गोली दी गई	
M4-4.3	कुल धात्री महिलाओं की संख्या जिन्हें 180 आई.एफ.ए. लाल गोली दी गई	
प्रजनन आयुवर्ग की महिला (अभियान निदेशक, NHM के पत्रांक 1035(MD) दिनांक 19.06.2020 द्वारा निदेशित)		
कुल प्रजनन आयुवर्ग की महिलाओं (20—49 वर्ष) की संख्या		
कुल प्रजनन आयुवर्ग की महिलाएँ जिन्हें समुदाय स्तर पर माह में 4 से 5 आई.एफ.ए. की लाल गोली दी गयी?		

नोट :— कोविड-19 के कारण विद्यालय बंद हैं, इसलिए सहिया 5—9 वर्ष एवं 10—19 वर्ष के लक्षित बच्चों को / अभिभावकों को कमशः आई.एफ.ए. की गुलाबी एवं नीली गोली वितरित करेंगे एवं प्रतिवेदन विहित प्रपत्र में प्रत्येक माह की 5वीं तारीख को ए.एन.एम. को उपलब्ध करायें।

सहिया का हस्ताक्षर



351

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, झारखण्ड
ए.एन.एम. के लिए मासिक प्रगति प्रतिवेदन

(कोविड-19 के दौरान अनीमिया मुक्त भारत कार्यक्रम के तहत विभिन्न आयुवर्ग को सामुदायिक स्तर पर आई.एफ.ए. सम्पूरण का वितरण)

जिला :—

CHC का नाम :—

HSC का नाम :—

माह का नाम :— / 20.....

क्षेत्र में कुल सहियाओं की संख्या :—

कितने सहियाओं से प्रतिवेदन प्राप्त हुआ :—

ए.एन.एम. का नाम :—

दूरभाष संख्या :—


HMIS Code	सूचकांक	लाभार्थियों की संख्या
M6	शिशु प्रतिरक्षण (आई.एफ.ए. सिरप)	
6.9	6-59 माह के कितने बच्चों ने सप्ताह में 2 बार आई.एफ.ए. सिरप (माह में 8-10 बार) का सेवन किया?	
M22	किशोर स्वास्थ्य (आई.एफ.ए. की नीली गोली)	
22.1.1	कितने विद्यालय जाने वाले 10-19 वर्ष (कक्षा 6 से 12 तक) के किशोर -किशोरियों को समुदाय स्तर पर माह में 4 आई.एफ.ए. की नीली गोली दी गयी? (HMIS 22.1.1.a + 22.1.1.b)	
22.1.1.a	कितनी विद्यालय जाने वाले 10-19 वर्ष (कक्षा 6 से 12 तक) के लड़कियों को माह में 4 आई.एफ.ए. की नीली गोली दी गयी?	
22.1.1.b	कितने विद्यालय जाने वाले 10-19 वर्ष (कक्षा 6 से 12 तक) के लड़कों को माह में 4 आई.एफ.ए. की नीली गोली दी गयी?	
22.1.3	विद्यालय नहीं जाने वाली 10-19 वर्ष के कितनी किशोरियों को माह में 4 आई.एफ.ए. की नीली गोली दी गयी?	
M23	5-9 वर्ष के बच्चों के मध्य आई.एफ.ए. गुलाबी गोली की उपलब्धि	
23.1	विद्यालय जाने वाले कितने (कक्षा 1 से 5 तक) के कितने बच्चों को समुदाय स्तर पर माह में 4 से 5 आई.एफ.ए. की गुलाबी गोली दी गयी?	
23.3	विद्यालय नहीं जाने वाले कितने 5-9 वर्ष के बच्चों को समुदाय स्तर पर माह में 4 से 5 आई.एफ.ए. की गुलाबी गोली दी गयी?	
M1 & M4	गर्भवती एवं धात्री महिलाएँ जिनको 180 आई.एफ.ए. लाल गोली दिया गया	
M1- 1.2.4	कुल गर्भवती महिलाओं की संख्या जिन्हें 180 आई.एफ.ए. लाल गोली दी गई	
M4-4.3	कुल धात्री महिलाओं की संख्या जिन्हें 180 आई.एफ.ए. लाल गोली दी गई	
प्रजनन आयुवर्ग की महिला (अभियान निदेशक, NHM के पत्रांक 1035(MD) दिनांक 19.06.2020 द्वारा निदेशित)		
कुल प्रजनन आयुवर्ग की महिलाओं (20-49 वर्ष) की संख्या		
कुल प्रजनन आयुवर्ग की महिलाएँ जिन्हें समुदाय स्तर पर माह में 4 से 5 आई.एफ.ए. की लाल गोली दी गयी?		

सामुदायिक स्तर पर गर्भवती महिलाओं को उपलब्ध कराये गये आई.एफ.ए. लाल गोली का प्रतिवेदन ए.एन.एम. पूर्व की भाँति जारी रखें।


नोट :— ए.एन.एम. अपने क्षेत्र के सभी सहियाओं से उपांकित प्रतिवेदन प्राप्त कर मासिक HMIS प्रतिवेदन के साथ अनीमिया मुक्त भारत कार्यक्रम का संकलित प्रतिवेदन संबंधित सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र को उपलब्ध करायेंगे।

ए.एन.एम. का हस्ताक्षर


IRON RICH FOODS



Poultry, chicken, liver
(मूर्ग का जिगर)
Iron - 9.9 mg



Bengal gram whole
(चना)
Iron - 9.5 mg



Horse gram, whole
(कुल्थी)
Iron - 8.8 mg



Amaranth leaves, red
(चौलई के पत्ते)
Iron - 7.3 mg



Raisins
(किसमिस)
Iron - 6.8 mg

*Nutrient rich food items derived from relevant food groups, locally available and commonly consumed by the Indian population

Values are per 100 g


IRON RICH FOODS



Bajra
(बाजरा)
Iron - 6.4 mg



Fenugreek leaves
(मेथी साग)
Iron - 5.7 mg



Ragi
(रागी)
Iron - 4.6 mg



Lotus root
(कमल ककड़ी)
Iron - 3.3 mg



Egg, whole, raw
(अंडा)
Iron - 1.8mg

*Nutrient rich food items derived from relevant food groups, locally available and commonly consumed by the Indian population

Values are per 100 g

PROTEIN RICH FOODS



Soya bean, white

(सोयाबीन)

Protein - 37.8 g



Tuna fish

(टूना मछली)


Protein - 24.5 g



Lentil dal

(मसूर दाल)

Protein - 24.4 g



Groundnut

(मूँगफली)

Total Protein - 23.7 g



Chicken hen, breast with skin

(मुर्गी स्तन)

Protein - 22.1 g

*Nutrient rich food items derived from relevant food groups, locally available and commonly consumed by the Indian population

PROTEIN RICH FOODS



Paneer
(पनीर)
Protein - 18.9 g



Egg, whole, raw
(अंडा)
Protein - 13.1 g



Bajra
(बाजरा)
Protein - 11.0 g



Wheat flour
(गेहूँ का अटा)
Protein - 10.6 g



Milk, whole, Cow
(गाय का दूध)
Protein - 3.3 g

*Nutrient rich food items derived from relevant food groups, locally available and commonly consumed by the Indian population

Values are per 100 g

VITAMIN C RICH FOODS



Gooseberry
(आमला)
Vitamin C: 252 mg



Guava
(अमरुद)
Vitamin C: 222 mg



Agathi leaves
(अगाथी साग)
Vitamin C: 121 mg



Green mango, raw
(हरी अम्बी)
VitaminC: 90 mg



Amaranth leaves, red
(लाल चौलाई के पत्ते)
Vitamin C: 86 mg

*Nutrient rich food items derived from relevant food groups, locally available and commonly consumed by the Indian population

Values are per 100 g

VITAMIN C RICH FOODS



Green gram whole sprouts

(अंकुरन)

Vitamin C: 80 mg

Drumstick

(सहजन की फली)

Vitamin C: 72 mg

Lime sweet

(मौसम्बी)

Vitamin C: 50 mg

Lemon

(नीम्बू)

Vitamin C: 48 mg

Orange

(संतरा)

Vitamin C: 43 mg


*Nutrient rich food items derived from relevant food groups, locally available and commonly consumed by the Indian population

Values are per 100 g

VITAMIN A RICH FOODS



Goat liver
(बकरे का यकृत)
Vitamin A: 15655 mcg



Drumstick leaves
(सहजन के पत्ते)
Vitamin A: 2193 mcg



Fenugreek leaves
(मेथी के पत्ते)
Vitamin A: 1156 mcg



Carrot, orange
(ऑरेंज गाजर)
Vitamin A: 678 mcg



Sweet potato
(शकरकंद)
Vitamin A: 672 mcg

*Nutrient rich food items derived from relevant food groups, locally available and commonly consumed by the Indian population

Values are per 100 g

VITAMIN A RICH FOODS



Egg poultry, whole raw

(अंडा)

Vitamin A: 198 mcg



Tomato

(टमाटर)

Vitamin A: 189 mcg



Musk melon

(खरबूजा)

Vitamin A: 96 mcg



PAPAYA

(पपीता)

Vitamin A: 87 mcg



Milk, whole, cow

(गाय का दूध)

Vitamin A: 60 mcg

*Nutrient rich food items derived from relevant food groups, locally available and commonly consumed by the Indian population

Values are retinol equivalents computed as beta carotene/8+ Retinol, per 100 g